भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1969
सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

बेरोजगारी की बढ़ती दर

1969. **श्री अर्जुन सिंहः**
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः
श्री विजय कुमारः
श्री भागीरथ चौधरीः
डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः
श्री राजेश वर्माः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों की तुलना में देश में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण हैं;
(ख) बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या कोविड-19 महामारी ने देश में बेरोजगारी जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) महामारी की स्थिति के कारण असंगठित और कुशल कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं;
(ङ) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बेरोजगारी दर कितनी है और क्या सरकार का देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और विगत दो वर्षों के दौरान देश में ऐसे बेरोजगार युवाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्हें रोजगार प्रदान किए गए हैं;
(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या राज्य सरकारें भी सरकार की नीतियों का लाभ उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 6.0%, 5.8%, 4.8% एवं 4.2% थी जो कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की, प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 50.9% एवं 52.6% थी जो कि देश में बढ़ते रोजगार को दर्शाता है।

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य तथा मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण इस प्रकार है: **(i)** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) 27 विशिष्टताओं में, 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप अस्पताल में भर्ती, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की थी। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, अन्य योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि भी असंगठित श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 19.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगारी दर (यूआर)

<table>
<tr><th>क.सं.</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>4.5</td><td>5.3</td><td>4.7</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अरुणाचल प्रदेश</td><td>5.8</td><td>7.7</td><td>6.7</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>3</td><td>असम</td><td>7.9</td><td>6.7</td><td>7.9</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बिहार</td><td>7.0</td><td>9.8</td><td>5.1</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>छत्तीसगढ</td><td>3.3</td><td>2.4</td><td>3.3</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>दिल्ली</td><td>9.4</td><td>10.4</td><td>8.6</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>7</td><td>गोवा</td><td>13.9</td><td>8.7</td><td>8.1</td><td>10.5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>गुजरात</td><td>4.8</td><td>3.2</td><td>2.0</td><td>2.2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>हरियाणा</td><td>8.4</td><td>9.3</td><td>6.4</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>10</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>5.5</td><td>5.1</td><td>3.7</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>11</td><td>झारखंड</td><td>7.5</td><td>5.2</td><td>4.2</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>कर्नाटक</td><td>4.8</td><td>3.6</td><td>4.2</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>13</td><td>केरल</td><td>11.4</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>10.1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>4.3</td><td>3.5</td><td>3.0</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>15</td><td>महाराष्ट्र</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>3.2</td><td>3.7</td></tr>
<tr><td>16</td><td>मणिपुर</td><td>11.5</td><td>9.4</td><td>9.5</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>17</td><td>मेघालय</td><td>1.6</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>1.7</td></tr>
<tr><td>18</td><td>मिजोरम</td><td>10.1</td><td>7.0</td><td>5.7</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>19</td><td>नागालैंड</td><td>21.4</td><td>17.4</td><td>25.7</td><td>19.2</td></tr>
<tr><td>20</td><td>ओडिशा</td><td>7.1</td><td>7.0</td><td>6.2</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>21</td><td>पंजाब</td><td>7.7</td><td>7.4</td><td>7.3</td><td>6.2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>राजस्थान</td><td>5.0</td><td>5.7</td><td>4.5</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td>23</td><td>सिक्किम</td><td>3.5</td><td>3.1</td><td>2.2</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>तमिलनाडु</td><td>7.5</td><td>6.6</td><td>5.3</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>25</td><td>तेलंगाना</td><td>7.6</td><td>8.3</td><td>7.0</td><td>4.9</td></tr>
<tr><td>26</td><td>त्रिपुरा</td><td>6.8</td><td>10.0</td><td>3.2</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>27</td><td>उत्तराखंड</td><td>7.6</td><td>8.9</td><td>7.1</td><td>6.9</td></tr>
<tr><td>28</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>6.2</td><td>5.7</td><td>4.4</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>29</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>4.6</td><td>3.8</td><td>4.6</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>30</td><td>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</td><td>15.8</td><td>13.5</td><td>12.6</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td>31</td><td>चंडीगढ़</td><td>9.0</td><td>7.3</td><td>6.3</td><td>7.1</td></tr>
<tr><td>32</td><td>दादरा और नगर हवेली</td><td>0.4</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td rowspan="2">4.2</td></tr>
<tr><td>33</td><td>दमन और दीव</td><td>3.1</td><td>0.0</td><td>2.9</td></tr>
<tr><td>34</td><td>जम्मू और कश्मीर</td><td>5.4</td><td>5.1</td><td>6.7</td><td>5.9</td></tr>
<tr><td>35</td><td>लद्दाख</td><td>-</td><td>-</td><td>0.1</td><td>2.9</td></tr>
<tr><td>36</td><td>लक्षद्वीप</td><td>21.3</td><td>31.6</td><td>13.7</td><td>13.4</td></tr>
<tr><td>37</td><td>पुदुचेरी</td><td>10.3</td><td>8.3</td><td>7.6</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">अखिल भारत</td><td>6.0</td><td>5.8</td><td>4.8</td><td>4.2</td></tr>
</table>

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध- ।।

लोक सभा के दिनांक 19.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीर) का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

<table>
<tr><th>क.सं.</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>55.5</td><td>58.6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अरुणाचल प्रदेश</td><td>44.3</td><td>48.5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>असम</td><td>43.2</td><td>50.5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बिहार</td><td>39.7</td><td>39.9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>छत्तीसगढ</td><td>65.4</td><td>63.6</td></tr>
<tr><td>6</td><td>दिल्ली</td><td>43.3</td><td>42.7</td></tr>
<tr><td>7</td><td>गोवा</td><td>47.3</td><td>43.4</td></tr>
<tr><td>8</td><td>गुजरात</td><td>54.7</td><td>55.0</td></tr>
<tr><td>9</td><td>हरियाणा</td><td>42.9</td><td>44.0</td></tr>
<tr><td>10</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>70.5</td><td>69.5</td></tr>
<tr><td>11</td><td>झारखंड</td><td>53.6</td><td>59.6</td></tr>
<tr><td>12</td><td>कर्नाटक</td><td>53.1</td><td>55.3</td></tr>
<tr><td>13</td><td>केरल</td><td>45.3</td><td>46.1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>57.7</td><td>60.2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>महाराष्ट्र</td><td>55.7</td><td>53.9</td></tr>
<tr><td>16</td><td>मणिपुर</td><td>45.5</td><td>41.0</td></tr>
<tr><td>17</td><td>मेघालय</td><td>58.6</td><td>62.0</td></tr>
<tr><td>18</td><td>मिजोरम</td><td>50.7</td><td>54.5</td></tr>
<tr><td>19</td><td>नागालैंड</td><td>44.8</td><td>49.5</td></tr>
<tr><td>20</td><td>ओडिशा</td><td>51.9</td><td>53.5</td></tr>
<tr><td>21</td><td>पंजाब</td><td>47.8</td><td>47.2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>राजस्थान</td><td>55.0</td><td>55.3</td></tr>
<tr><td>23</td><td>सिक्किम</td><td>68.8</td><td>71.3</td></tr>
<tr><td>24</td><td>तमिलनाडु</td><td>55.3</td><td>56.9</td></tr>
<tr><td>25</td><td>तेलंगाना</td><td>55.7</td><td>57.8</td></tr>
<tr><td>26</td><td>त्रिपुरा</td><td>49.6</td><td>53.8</td></tr>
<tr><td>27</td><td>उत्तराखंड</td><td>49.5</td><td>48.7</td></tr>
<tr><td>28</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>45.1</td><td>48.0</td></tr>
<tr><td>29</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>49.7</td><td>53.0</td></tr>
<tr><td>30</td><td>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</td><td>49.8</td><td>58.2</td></tr>
<tr><td>31</td><td>चंडीगढ़</td><td>45.5</td><td>43.1</td></tr>
<tr><td>32</td><td>दादरा और नगर हवेली</td><td>72.2</td><td rowspan="2">54.0</td></tr>
<tr><td>33</td><td>दमन और दीव</td><td>64.5</td></tr>
<tr><td>34</td><td>जम्मू और कश्मीर</td><td>52.5</td><td>55.5</td></tr>
<tr><td>35</td><td>लद्दाख</td><td>62.7</td><td>69.1</td></tr>
<tr><td>36</td><td>लक्षद्वीप</td><td>48.0</td><td>40.1</td></tr>
<tr><td>37</td><td>पुडुचेरी</td><td>47.7</td><td>48.1</td></tr>
<tr><td></td><td>अखिल भारतीय</td><td>50.9</td><td>52.6</td></tr>
</table>

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई